

प्रेषक,
एस0एस0 टोलिया,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,
प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2

विषय:- वित्तीय वर्ष 2017-18 में जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र थराली के अन्तर्गत विभिन्न 02 कार्यों हेतु प्रथम चरण की प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति।

देहरादून : दिनांक 23 फरवरी, 2018

महोदय,
उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रांक0, लोक निर्माण विभाग, पौड़ी द्वारा संलग्न विवरणानुसार सुलभ कराये गये प्रथम चरण के आगणनों, जिनकी कुल लम्बाई 4.50 किमी0 + 02 सेतु तथा लागत ₹ 69.10 लाख है, पर विभागीय टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षणोपरान्त संस्तुत औचित्यपूर्ण धनराशि ₹ 69.10 लाख (रु0 छत्तरसत्तर लाख दस हजार मात्र) की प्रशासकीय तथा वित्तीय एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान करते हुए, चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में व्यय हेतु प्रति कार्य ₹ 0.10 लाख अर्थात् 02 कार्यों हेतु ₹ 0.20 लाख (दो बीस हजार मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन में रखे जाने की श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(i)- उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा तदोपरान्त शासनादेश सं0:-1794/III(2)/10-17(सामान्य)/2008 दिनांक 17 जून, 2010 की व्यवस्थानुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(ii)- आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शैड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(iii)- कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना जो स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि में बचत हो रही है तो उसका समायोजन विस्तृत आगणन तैयार करते समय किया जायेगा।

(iv)- कार्य कराने से पूर्व समस्त कार्यचरिकाएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशेषों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

(v)- आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद से दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

(vi)- स्वीकृत किया जाने वाला कार्य उत्तराखण्ड प्रोक्तोरमेन्ट रूल्स-2017 एवं उक्त के विषय समय-समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त बजट मैनुअल के निर्देशों का भी अनुपालन किया जायेगा।

(vii)- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0:-2047/XIV-219(2006) दिनांक 30-05-2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(viii)- उक्तानुसार स्वीकृत आगणन में एन0पी0वी0 भूमि अधिग्रहण, यूटिलिटी शिफ्टिंग आदि मदों सम्बन्ध में यथावश्यक व्यय अनुदान सं0-22 लेखाशीर्षक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजी परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सड़कें-अधीनजागत-800-अन्य व्यय-05-सड़क/भवन/सेतु आदि हेतु अधिग्रहण-00-24 वृहत निर्माण कार्य विभागीय अनु-व्ययक में प्राविधानित तथा निवर्तन पर रखी धनराशि से किया जायेगा।

संख्या- 789/111(2)/18-05(एम0एल0ए0)/2017टी0सी0 दिनांक फरवरी, 2018 का संलग्नक।
(घनराशि लाख ₹ में)

क्र.सं	कार्य का नाम	लम्बाई (किमी० में)	विभागीय टी०ए०सी० द्वारा अनुमोदित लागत	चालू वित्तीय वर्ष में अवमुक्त की जा रही घनराशि।
1	जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र-थराली के विकासखण्ड नारायणबगड़ के अंतर्गत सिमली से नाखोली तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	3.00+ 48 mtr.	38.40	0.10
2	जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र-थराली के विकास खण्ड नारायणबगड़ के अंतर्गत अल्मोड़ा-बैजनाथ-ग्वालदम-कर्णप्रयाग मोटर मार्ग से पैठाणी हेतु मोटर मार्ग एवं 84 मी० स्पाइरल गार्डर सेतु का नवनिर्माण।	1.50+ 84 mtr.	30.70	0.10
कुल		4.50 +2 bridge	69.10	0.20

(कुल ₹ बीस हजार मात्र)

(जीवन सिंह)
उप सचिव

 AE

 J.E.